न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 302/2018

वादीगण :–

1. पुखराज पुत्र श्री अर्जुनराम
2. रामलाल पुत्र श्री अर्जुनराम

दोनों जाति मेघवाल(भांबी), निवासीगण बेदावडी कलां तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अर्जुनराम पुत्र श्री बोफाराम, कौम भाम्बी निवासी बेदावड़ी कलां, तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. सायरी उर्फ बाबूड़ी पुत्री श्री अर्जुनराम पत्नी श्री शोभाराम, जाति मेघवाल, निवासी बायड़ तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. शारदा पुत्री श्री अर्जुनराम पत्नी श्री प्रकाश,
4. मंजु पुत्री श्री अर्जुनराम पत्नी श्री रामकुंवार

दोनों जाति मेघवाल, निवासीगण मोकलपुर तहसील मेड़ता जिला नागौर।

5. तहसीलदार, मेड़ता।

**दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय** दिनांक :–30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है। प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता है। ग्राम बेदावडी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

कलां की सरहद में खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 3.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 2.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 4.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 192 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल रकबा 16.45 हैक्टेयर स्थित है, जो पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिन्हे आगे विवादित खसरान से संबोधित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने गत अक्षय तृतीया को विवादित खसरान का बंटवाड़ा मौखिक रूप से करके अलग–अलग कब्जा करवा दिया है। जो बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा नम्बर 3 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के बंट में नगदी इत्यादि रख देने से खातेदारी भूमि में उन्होने अपना हक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया तथा अपने बंट में कोई भूमि नही रखी। उपरोक्त वर्णित बंटानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठें कायम कर ली है। मगर विवादित खसरान की खातेदारी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्टैण्ड होने से वादीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी का प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज फायदा उठाने पर आमादा है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु वाद पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 9 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा ग्राम बेदावड़ी कलां की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 56 व पुखराज व रामलाल की आधार कार्ड की फोटो प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद सम्मन तामील

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

अनुपस्थित रहने से आज दिनांक 30.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

**आदेश**

6.(1) **वादी संख्या 1 पुखराज के बंट में :–** मौजा बेदावड़ी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 3.96 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.98 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.405 हैक्टेयर उत्तरी, खसरा नम्बर 34 रकबा 2.88 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.44 हैक्टेयर उत्तरी, खसरा नम्बर 115 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 2.24 हैक्टेयर पूर्वी भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **वादी संख्या 2 रामलाल के बंट में :–** मौजा बेदावड़ी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 3.96 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.98 हैक्टेयर पूरवी, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.405 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 34 रकबा 2.88 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.44 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 115 रकबा 4.48 हैक्टेयर में से

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1/2 हिस्सा रकबा 2.24 हैक्टेयर पश्चिमी भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6(3) **प्रतिवादी संख्या 1 अर्जुनराम के बंट में :–** मौजा बेदावड़ी कलां की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 2.03 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 192 रकबा 2.28 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक अपने बंट की भूमि हक तर्क कर दी है, जिससे हक तर्क की स्टाम्प ड्यूटी एवं बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता